

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं० सं०-पि०व०/३/क्ष०स्था०-२०-१९/२०२४-

—: आदेश :—

संख्या-पि०व०/३/क्ष०स्था०-२०-१९/२०२४-

पटना, दिनांक-

सुश्री स्वाती कुमारी, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को उनके पिताजी के हृदय संबंधी समस्या हो जाने के कारण उनके ईलाज एवं देख-भाल हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं नियम-248 (क) तथा वित्त विभाग के पत्रांक-5208, दिनांक-25.05.1980 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-25.03.2026 से 08.05.2026 तक कुल-45 दिनों की उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

2- जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को निदेशित किया जाता है कि उक्त पदाधिकारी के उपार्जित अवकाश अवधि तक के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रभार किसी अन्य पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

3- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुष्मा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-पि०व०/३/क्ष०स्था०-२०-१९/२०२४-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सुश्री स्वाती कुमारी, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-पि०व०/३/क्ष०स्था०-२०-१९/२०२४-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ/आई०टी०मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Signed by Sushma

Date: 02-04-2026 17:38:10

सरकार के उप सचिव।